

प्रकरण संख्या 175/2017

बनाम सावरमल दुप्री

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-18/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री सावरमल २० मीणावली दुप्री द्वारा पत्थरगढी जिले में
श्री अ.प्र. जाधव ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक
खाते की भूमि ग्राम मादाखिया प0ह0 मादाखिया तह0 माण्डलगढ में
खेत नं० 106 आ.नं० 78, 79, 80, 90, 92, 93, 94, 218

8 कित्ता 8 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीय आदेश
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करने
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद को
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार
ग्राम मादाखिया की आराजी नं0 खेत नं० 106 आ.नं० 78, 79, 80, 90, 92, 93, 94, 218 बिवा 8

रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी
के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 1150 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करे
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनाथ तह
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।